संख्या–वे0आ0–2–404/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन भाग–1 द्वारा फार्मासिस्ट सवंर्ग के सम्बन्ध में की गयी पूर्व संस्तुतियों पर पुनर्विचार करते हुए दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फार्मासिस्ट सवंर्ग के सम्बन्ध में वेतन समिति के नवम् प्रतिवेदन भाग–1 के माध्यम से दी गयीं संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों, जो पत्र संख्या–वे0आ0–2–2055/दस–54(एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के माध्यम से आपको संसूचित किये गये थे, के क्रम में पुनर्विचार करते हुए समिति के पत्र दिनांक 12 जनवरी, 2011 के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) राजकीय विभागों के फार्मेसिस्ट संवर्ग में उपलब्ध फार्मेसिस्ट के पद पर Entry Grade वेतनमान रू0 4500–7000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800) तथा Entry Grade में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर नान फंक्शनल आधार पर वेतनमान रू0 5000–8000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200) अनुमन्य कराया जाय।

(2) फार्मेसिस्ट संवर्ग में उपलब्ध चीफ फार्मेसिस्ट के पद पर अनुमन्य वेतनमान रू0 5500–9000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200) के स्थान पर संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600) अनुमन्य कराया जाय। साथ ही प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) वेतनमान रू0 6500–10500 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600) का स्तर बनाए रखते हुए इस पद पर संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान रू0 7500–12000 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800) अनुमन्य कराया जाय।

(3) चीफ फार्मेसिस्ट के पद पर ऐसे पदधारकों से पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय, जिन्होंने फार्मासिस्ट के पद पर **आठ वर्ष** की सेवा पूर्ण कर ली हो। साथ ही प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) के पद पर, चीफ फार्मासिस्ट के ऐसे पदधारकों से पदोन्नति की व्यवस्था रखी जाय जिन्होंने फार्मासिस्ट तथा चीफ फार्मासिस्ट के पदों पर कुल **सोलह वर्ष** की सेवा पूर्ण कर ली हो।

(4) संयुक्त निदेशक (फार्मेसी) वेतनमान रू0 10000–15200 (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600) का पदनाम उप निदेशक (फार्मेसी) रखा जाय।

(5) पूर्व उप प्रस्तरों की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश में फार्मेसिस्ट संवर्ग का ढ़ॉचा निम्नानुसार निर्धारित किया जाय :—

क0 सं0	पदनाम/वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0 में)	भर्ती की प्रकिया/ अर्हता
(1)	(2)	(3)
1	फार्मासिस्ट/4500–7000 (वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800)*	शत–प्रतिशत सीधी भर्ती। अर्हता– इण्टरमीडिएट (गणित या बायलोजी ग्रुप) तथा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त 2 वर्ष 3 माह की अवधि का फार्मेसी में डिप्लोमा एवं स्टेट फार्मेसी कौन्सिल, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत।
2	चीफ फार्मासिस्ट/ 6500–10500 (वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600)	फार्मासिस्ट (नान फंक्शनल वेतनमान की सेवा सहित) के पद पर **आठ वर्ष** की सेवा वाले पदधारकों में से शत–प्रतिशत पदोन्नति।
3	प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी)/7500–12000 (सादृश्य वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800)	चीफ फार्मासिस्ट के ऐसे पदधारकों से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने फार्मासिस्ट (नान फंक्शनल वेतनमान की सेवा सहित) तथा चीफ फार्मासिस्ट के पदों पर कुल **सोलह वर्ष** की सेवा पूर्ण कर ली हो।
4	विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी)/8000–13500 (वेतन बैण्ड– 3 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400)	प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) के ऐसे पदधारकों से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने फार्मासिस्ट (नान फंक्शनल वेतनमान की सेवा सहित) चीफ फार्मासिस्ट तथा प्रभारी अधिकारी (फार्मेसी) के पदों पर कुल **बीस वर्ष** की सेवा पूर्ण कर ली हो।
5	उप निदेशक (फार्मेसी)/	विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी) के ऐसे

	10000–15200 (वेतन बैण्ड–3 एवं ग्रेड वेतन रू0 6600)	पदधारकों से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने फार्मासिस्ट(नान फंक्शनल वेतनमान की सेवा सहित), चीफ फार्मासिस्ट तथा विशेष कार्याधिकारी (फार्मेसी) के पदों पर कुल **इक्कीस वर्ष** की सेवा पूर्ण कर ली हो।

* फार्मासिस्ट के वेतन बैण्ड–1 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 में 02 वर्ष की सेवा के पश्चात नान फंक्शनल वेतनमान रू0 5000–8000 (वेतन बैण्ड–2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/–) ।

(6) उक्तानुसार संशोधित/उच्चीकृत वेतनमान तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जायें।

(7) फार्मेसिस्ट संवर्ग के पदों पर भी ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय लाभ शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–561/दस–62(एम)/2008, दिनांक 04 मई, 2010 के आलोक में अनुमन्य होंगे और अलग से संस्तुति किये जाने का अवसर नहीं है।

2– कृपया वित्त विभाग के पत्र दिनांक 08 सितम्बर, 2010 द्वारा संसूचित निर्णयों को उक्त निर्णयों के अनुसार संशोधित रुप में कार्यान्वित किये जाने हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–404(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।